अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ, आर.ए.एस

2015-00036RAAJu2015-088RTA223 LRs of Sonaram etc Vs Maganaram etc

1. सोनाराम पुत्र पन्नाराम विश्नोई (फौत)
   a. बंशीलाल पुत्र सोनाराम विश्नोई
      निवासी चन्द्रनगर, ग्राम पंचायत जम्भेश्वरनगर
      तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
   b. अणची पुत्री सोनाराम पत्नी बगडुराम
      निवासी नेवा की ढाणी, कानासर
      तहसील बाप, जिला जोधपुर
   c. शांति पुत्री सोनाराम पत्नी उत्तमाराम गोदारा
      निवासी नेवा की ढाणी, कानासर
      तहसील बाप, जिला जोधपुर
2. मोहनराम पुत्र बरसिंगाराम पौत्र पन्नाराम विश्नोई
3. सहीराम पुत्र बरसिंगाराम पौत्र पन्नाराम विश्नोई
   निवासीगण चन्द्रनगर, ग्राम पंचायत जम्भेश्वरनगर
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर

----- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. मगनाराम पुत्र जगमालराम विश्नोई
2. भलूराम पुत्र जगमालराम विश्नोई
3. सहीराम पुत्र जगमालराम विश्नोई
4. शंकरलाल पुत्र जगमालराम विश्नोई
5. भागीरथ पुत्र जगमालराम विश्नोई
6. सुखी पत्नी जगमालराम विश्नोई
   निवासीगण चन्द्रनगर, ग्राम पंचायत जम्भेश्वरनगर
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
7. जीया पुत्र जगमालराम पत्नी प्रतापराम विश्नोई
   निवासी देवनगर हाणिया, तहसील बावडी
   जिला जोधपुर
8. हंसा पुत्री जगमालराम पत्नी गोपीलाल राव विश्नोई

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निवासी डाबर लोहावट, तहसील लोहावट
जिला जोधपुर

9. बलवन्ताराम पुत्र कानाराम विश्नोई
10. चैनाराम पुत्र बरसिंगाराम पौत्र जसवन्ताराम विश्नोई
11. जीयाराम पुत्र बरसिंगाराम पौत्र जसवन्ताराम विश्नोई
12. बचनाराम पुत्र बरसिंगाराम पौत्र जसवन्ताराम विश्नोई
13. सुगनी पत्नी बरसिंगाराम पुत्र जसवन्ताराम विश्नोई
    समस्त निवासीगण चन्द्रनगर, ग्राम पंचायत जम्भेश्वरनगर
    तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
14. मोहनी पुत्री बरसिंगाराम पौत्री जसवन्ताराम
    पत्नी हडमानराम साउ निवासी देवनगर हाणिया
    तहसील बावडी, जिला जोधपुर
15. कमला पुत्री बरसिंगाराम पौत्री जसवन्ताराम
    पत्नी सोहनराम राव, निवासी डाबर लोहावट
    तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लोहावट
    जिला जोधपुर

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी दिनांक 26 अक्तूबर, 2015 राजस्व वाद संख्या 126/2014 मंगनाराम व अन्य बनाम तहसीलदार लोहावट इत्यादि

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री लाधूराम पूनिया, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री धनराज वैष्णव, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 01 से 08
श्री सुगनमल परिहार, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 4
श्री रामविलास मुण्डेल, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 9 से 15
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 16

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 03 मार्च 2020

अपीलाण्ट ने विद्वान सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी द्वारा राजस्व वाद संख्या 126/2014 मंगनाराम व अन्य बनाम तहसीलदार लोहावट व अन्य में पारित निर्णय व डिकी दिनांक 26 अक्तूबर 2015 के खिलाफ आलौच्य अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 07 दिसम्बर 2015 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ एक प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र अन्तर्गत धारा 96 सिविल प्रकिया संहिता प्रस्तुत कर स्वयं को वादग्रस्त आराजी में हितबद्ध तथा अपीलाधीन आदेश से प्रतिकूलरूपेण प्रभावित पक्ष होना जाहिर करते हुए अपीलाधीन आदेश के खिलाफ अपील पेश करने की अनुमति दिये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से आठ ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत एक राजस्व वाद पेश कर वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से आठ एवं प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या 09 से 15 की सामलाती खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 2335/3100 रकबा 84 बीघा सरहद मौजा लोहावट विशनावास (नवीन राजस्व ग्राम चन्द्रनगर) तहसील लोहावट में स्थित होना जाहिर करते हुए वादपत्र में अभिकथन किया कि वक्त सेटलमेण्ट वादग्रस्त आराजी सरकारी भूमि दर्ज थी जिस पर कब्जा-काश्त वक्त सेटलमेण्ट के पूर्व से वादीगण के दादा जसवंता एवं उम्मेदा का चला आ रहा था, जसवंता फौत हो चुका है, जसवंता के फौत होने पर उसके तीन पुत्र जगमाल (वादीगण-रेस्पो. संख्या 01 से 07 के पिता व वादिनी-रेस्पो.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संख्या 8 के पति), कानाराम (प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या 9 के पिता) और बरसींगाराम (प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या 10 से 12 व 14 तथा 15 के पिता और प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या 13 के पति) वारिस हुए जिन्हें 1966 में जसवंता के हिस्से की खातेदारी प्रदान की गयी मगर म्युटेशन संख्या 623 के जरिये जसवंता के हिस्से की खातेदारी उसके उक्त वारिसान को प्रदान करते हुए सहवन से जगमाल की जगह सोनाराम दर्ज कर दिया गया, जबकि सोनाराम नामक कोई व्यक्ति है ही नहीं। वादपत्र में यह भी वर्णित किया गया कि ग्राम चन्द्रनगर के खसरा संख्या 2264, 2265, 2267, 2266, 2268,2269, 2332, 2267/3090, 2269/3031 बाबत राजस्व रिकार्ड में जगमाल का नाम अपने भाईयों के साथ सही दर्ज हो गया, लेकिन उक्त भूमि के खातेदारी के नामांन्तरकरण संख्या 623 मौजा लोहावट विशनावास में जगमालराम का नाम सहवन से सोनाराम दर्ज कर दिया गया। अतः दावा स्वीकार किया जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, मगर बावजूद सूचना प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या 09 से 15 अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ दिनांक 20 मार्च 2015 को इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी, प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या 16 की ओर से जबाबदावा पेश किया गया और जाहिर किया गया कि वाद में वर्णित अन्य खसरान की आराजियात बाबत राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम सोनाराम की बजाय जगमालराम अंकित है, अतः जगमालराम दर्ज किया जाना उचित है। वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से आठ ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने वाद के समर्थन में शपथपत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किये, इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस समायत की जाकर जरिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 26 अक्तूबर 2015 वादीगण-रेस्पो.

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संख्या एक से आठ का दावा स्वीकार कर लिया। जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील पेश की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने कथन किया कि--

- वास्तव में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2335/3100 रकबा 84 बीघा पर तीन व्यक्ति सोनाराम पुत्र पन्नाराम, बरसिंगाराम पुत्र पन्नाराम व कानाराम पुत्र जसवन्ताराम काबिज थे जिन्हें पुराने कब्जे के आधार पर दिनांक 31 दिसम्बर 1967 को नियमन सलाहकार समिति द्वारा बहिस्सा बराबर-बराबर नियमन किये जाने का आदेश दिया गया।
- सन् 1996 में बरसिंगाराम का देहान्त हो जाने पर उसके खातेदारी की भूमि अपीलाण्ट संख्या दो व तीन को विरासत में प्राप्त हो गयी और इस प्रकार आदिनांक तक सभी का कब्जा काश्त उक्त भूमि पर चला आ रहा है।
- उक्त आवण्टन के बाद राजस्व रिकार्ड संधारित करते समय खातेदारान की वल्दियत लिखने में त्रुटि रह गयी जिसकी जानकारी होने पर सुधार हेतु एक राजस्व वाद संख्या 36/2015 न्यायालय सहायक कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया, जो विचाराधीन है।
- रेस्पो. से पूर्वज जसवन्ताराम का वादग्रस्त आराजी से कोई लेना-देना नहीं रहा है और न ही उसका कभी इस आराजी पर कब्जा-काश्त ही रहा है। इस कारण उसके वारिसान को भी विरासत के आधार पर कोई हक-हकूक प्राप्त नहीं होते है। इसके उपरान्त भी वादीगण-रेस्पो. संख्या 01 से 08 एवं प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या 09 से 15 ने अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में आलौच्य मिलावटी वाद संख्या 126/2014 पेश कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 26 अक्तूबर 2015 अपने पक्ष में पारित करवा लिये।

- वादग्रस्त आराजी पर अपीलाण्ट्स खातेदार साधिकार काबिज काश्त है और पूर्व में इस आराजी बाबत न्यायालय में दावा भी विचाराधीन है, जिसमें वर्तमान वाद के वादीगण/प्रतिवादीगण भी पक्षकार है, को आवश्यक पक्षकार होते हुए भी पक्षकार नहीं बनाया गया है।
- अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादीगण-रेस्पो. संख्या 01 से 08 द्वारा वादग्रस्त आराजी जसवन्ता की खातेदारी की होने तथा उसके देहान्त के बाद उसके पुत्रों जगमालराम व बरसिंगाराम का खातेदारी अधिकार प्राप्त होने बाबत कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है।
- अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट का रिकार्ड दुरुस्ती का दावा संख्या 36/2015 विचाराधीन चल रहा है जिसमें वर्तमान वाद के प्रतिवादीगण-रेस्पो. संख्या 9 से 15 पक्षकार है और तामील होकर उपस्थित भी हो रहे है, ऐसी स्थिति में उक्त दोनों दावों को समेकित कर निर्णित किया जाना आवश्यक है।
- अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत तहसीलदार लोहावट का जबाबदावा एवं पटवारी हळका की रिपोर्ट राजस्व रिकार्ड एवं तथ्यों के विपरीत होने से विश्वसनीय नहीं है।

अंत में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिकी अपास्त किये जाने एवं वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जबाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रपत्र तीन के संलग्न विधान सभा मतदाता सूची पेश कर कथन किया कि--

- वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सामलाती खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 2335/3100 रकबा 84 बीघा सरहद मौजा लोहावट विशनावास (नवीन राजस्व ग्राम चन्द्रनगर) तहसील लोहावट में स्थित है जिसमें अपीलाण्ट्स का कोई हक-हिस्सा और कब्जा कभी भी नहीं रहा है।
- वक्त सेटलमेण्ट वादग्रस्त आराजी सरकारी भूमि दर्ज थी जिस पर कब्जा-काश्त वक्त सेटलमेण्ट के पूर्व से वादीगण के दादा जसवंता पुत्र उम्मेदा का चला आ रहा था, जसवंता फौत हो चुका है, जसवंता के फौत होने पर उसके तीन पुत्र जगमाल (वादीगण-रेस्पो. संख्या 01 से 07 से पिता व वादिनी-रेस्पो. संख्या 8 के पति), कानाराम (प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या 9 के पिता) और बरसींगाराम (प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या 10 से 12 व 14 तथा 15 के पिता और प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या 13 के पति) वारिस हुए जिन्हें 1966 में जसवंता के हिस्से की खातेदारी प्रदान की गयी मगर म्युटेशन संख्या 623 के जरिये जसवंता के हिस्से की खातेदारी उसके उक्त वारिसान को प्रदान करते हुए सहवन से जगमाल की जगह सोनाराम दर्ज कर दिया गया, जबकि सोनाराम नामक कोई व्यक्ति है ही नहीं।
- ग्राम चन्द्रनगर के खसरा संख्या 2264, 2265, 2267, 2266, 2268, 2269, 2332, 2267/3090, 2269/3031 बाबत राजस्व रिकार्ड में जगमाल का नाम अपने भाईयों के साथ सही दर्ज हो गया, लेकिन उक्त भूमि के खातेदारी के नामांन्तरकरण

संख्या 623 मौजा लोहावट विशनावास में जगमालराम का नाम सहवन से सोनाराम दर्ज कर दिया गया।

अंत में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपील अपीलाण्ड्स सारहीन होने से तदनुसार खारिज किये जाने का निवेदन किया।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का अनुरोध किया।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। अपील स्तर पर प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन करने पर पाया जाता है कि--

1. वर्ष 2009 में सोनाराम द्वारा न्यायालय सहायक कलेक्टर फलोदी के समक्ष वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 2335/3100 रकबा 84 बीघा वाके मौजा चन्द्रनगर के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88 एवं धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत दावा पेश किया।
2. उक्त प्रस्तुत वाद में वादपत्र के पद संख्या चार में अभिकथन किया कि "... वक्त सेटलमेण्ट से निरन्तर वादी का ⅓ हिस्से पर शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है लेकिन राजस्व रिकार्ड में हिस्साकशी दर्ज की हुई नहीं है, इसलिए वादी उक्त खसरा में अपने ⅓ हिस्से के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकारी है जिसका यह दावा पेश है।" **उल्लेखनीय है कि इस वादपत्र में वादी सोनाराम ने कहीं भी वादग्रस्त आराजी दिनांक 31 दिसम्बर 1967 को नियमन सलाहकार समिति द्वारा बहिस्सा बराबर-बराबर नियमन किये जाने का आदेश दिये जाने का उल्लेख नहीं किया है।**

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

3. सन् 2015 में अपीलाण्ट सोनाराम ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 188 तथा धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वाद संख्या 36/2015 सोनाराम बनाम चेनाराम पेश किया, जो अभी विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से आठ का यह कथन सही नहीं पाया जाता है कि सोनाराम नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं।
4. फलोदी (190) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचन नामावली भाग (163) सन् 1993 में कमांक 150 **सोनाराम पुत्र पन्नाराम,** बंशीलाल पुत्र पन्नाराम व सुगनी पत्नी बंशीलाल दर्ज है। इससे भी वादीगण-रेस्पो. संख्या एक से आठ का यह कथन सही नहीं पाया जाता है कि सोनाराम नाम का कोई व्यक्ति है ही नहीं।
5. रेस्पो. संख्या चार की ओर से प्रपत्र तीन के संलग्न जो जमाबंदी (खतौनी) संवत 2020 से 2023 ग्राम चन्द्रनगर पेश की गयी है, उसका अवलोकन करने पर पाया जाता है कि खाता संख्या 168 में खसरा संख्या 2263/3069, 2263, 2281 व 2282 कुल किता चार रकबा 30 बीघा सोनाराम, बीरमाराम, धनाराम मूलाराम पिसरान पन्नाराम विश्नोई साकिन देह की खातेदारी में अंकित है। इसी दस्तावेज में आगे खाता संख्या 169 की प्रविष्टि का अवलोकन करने पर विदित होता है कि खसरा संख्या 2335/3100 रकबा 84 बीघा सोनाराम, बरसींगाराम, कानाराम पिसरान जसवंताराम विश्नोई साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

6. **<u>नियमन</u>** जमाबंदी (खेवट खतौनी) ग्राम लोहावट बी.बी. संवत 2029 से 2032 में खतौनी संख्या 834 खसरा संख्या 2335/3100 रकबा 84 बीघा **सोनाराम, बरसींगाराम, कानाराम** पिसरान **जसवंताराम विश्नोई** साकिन देह खातेदार ग.ख.न. 747 ना.क. न. 623 दर्ज है।

उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर यह तथ्य सामने आते है कि दोनों ही पक्षों द्वारा न्यायालय के समक्ष सभी तथ्यों का भलीभांति खुलासा नहीं किया है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वादग्रसत राजकीय भूमि पर अतिकमण होने के कारण नियमन किया गया है। अनाधिकृत कब्जे बाबत विवरण है कि "संवत 2018 से कब्जा है। पिता के नाम पर कब्जा होना कोई विशेषता नहीं है। बाप के 6 या 7 लडके है और जुदा-जुदा है तो कम बंट होगा, रेगुलाइजेशन का आदेश फरमावे।" जिस पर आवण्टन सलाहकार कमेटी ने "नियमन किये जाने की" अनुशंसा की और तहसीलदार का आदेश हुआ कि "नियमानुसार खातेदारी दी जावे" जो दिनांक 01 दिसम्बर 1967 की आदेशिका से स्पष्ट है। जो केस नम्बर 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 568/67-68 सरकार बनाम सोनिया, नरसींगा, काना, जसवंता, माणक साकिन लोहावट बी.बी. है। कार्यालय तहसीलदार फलोदी मिसल संख्या 91/आरएलआर 568/67 दिनांक फैसला 30 दिसम्बर 1967 से खसरा संख्या 2335/3100 रकबा 84 बीघा सोनिया, बरसिंगा, काना जसवंता वगैरह को खातेदारी दी गयी और इसकी प्रतिलिपि सोनिया, बरसिंगा, काना, जसवंता वगैरह माणक विश्नोई निवासी लोहावट बी.बी. को सूचनार्थ दी गई। पिता के **अतिकमण** की निरन्तरता में गैरसायल का संवत 2018 से 2024 तक अतिकमण माना जाकर वादग्रस्त भूमि नियमित कर दी गई जिसमें खातेदारों का हिस्सा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पृथक-पृथक दर्ज नहीं किया गया। इसका तात्पर्य यह है कि एक ही पिता के पुत्रों को भूमि का नियमिन किया गया है। **काना, बरसींगा** तथा जसवंता के नाम समस्त अभिलेख में है, केवल सोनिया (सोनाराम) का नाम तथा वल्दियत में साम्य नहीं है। पंचायत मतदाता सूची 2004 गांव चन्द्रनगर का अवलोकन करने पर रेस्पो. परिवार जो कि ढाका पूर्णगा है, में बरसिंगाराम/जसवन्ताराम तथा जगमालराम/जसवंताराम की प्रविष्टि है तथा बलवंताराम/कानाराम की भी प्रविष्टि पायी गयी है। इसी प्रकार पंचायत निर्वाचक सूची सन 1981 गांव लोहावट विश्नोईवास में कानाराम/जसवंताराम, बरिंगाराम/जसवंताराम तथा जगमालराम/जसवंताराम की प्रविष्टि है तथा बलवंताराम/कानाराम की भी प्रविष्टि पाई गई है।

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र फलोदी की निर्वाचक नामावली वर्ष 1993 के अनुसार **बरसींगाराम**/जसवंताराम, **जगमालराम**/जसवंताराम तथा **कानाराम**/जसवंताराम की प्रविष्टि है और इसी में बलवंताराम/कानाराम का नाम भी है। प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या 24 ग्राम डाबर पटवार हळका लोहावट बी.बी. के अनुसार भी **कानाराम, जगमालराम, बरसींगाराम** पिसरान **जसवंताराम** पूर्णगा के तीन में से दो पुत्रों **काना व बरसिंगा** का नाम स्वयं जसवंता के नाम के साथ खातेदारी देने के आदेश में आया है। जमाबंदी खेवत खतौनी ग्राम लोहावट बी.बी. संवत 2025 से 2028 में खतौनी संख्या 747 में स्पष्ट अंकन इस प्रकार है - **सोनिया, बरींगा, काना, जसवंता** वगैरा।

उपरोक्त विवेचन निश्चित रूप से एक ही परिवार, जो जसवंता का है, के सदस्यों के नाम नियमन होना जाहिर करता है। सहवन से सोनिया का नाम शुरू से ही दर्ज रहा है परन्तु सोनिया/सोनाराम का इस जसवंता के परिवार से कोई सरोकार नहीं है। सोनाराम पन्नाराम का पुत्र अवश्य है, जो तुलछाणी ढाका परिवार से संबंध रखता है। इस परिवार में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बरसिंगाराम नाम का सदस्य रहा होगा, यही साम्य लेकर उक्त अपील एवं दुरस्ती बाबत दावा किया गया है। मौका फर्द दिनांक 18 सितम्बर 2015 के अनुसार **"इसके अलावा बाकी 42 बीघा भूमि मौके पर खाली पडी हुई है जिसके बारे में उपस्थित लोगो से पूछताछ करने पर पाया कि उक्त खसरे पर जसवंताराम के वारिसान जगमालराम, कानाराम व बरसींगाराम के वारिसान का ही कब्जा रहा है तथा वर्तमान में है। इससे साबित हो जाता है कि वादग्रस्त भूमि जसवंताराम के तीन पुत्रों काना, बरसींगा तथा जगमालराम (सहवन से सोनिया अंकित हुआ) के नाम नियमित होकर खातेदारी में दर्ज हुई और उनका इस पर तब से अनवरत कब्जा काश्त है।** वादग्रस्त भूमि में वे ही वास्तव में खातेदारी अधिकार रखते है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पायी जाती है। अतः अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी यथावत रख जाने योग्य पाये जाते है।

अतः अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिकी दिनांक 26 अक्तूबर 2015 यथावत रखे जाते है। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करे। डिकी पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

03/03/2020

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

अपीलाण्ट

1. सोनाराम पुत्र पन्नाराम विश्नोई (फौत)
   a. बंशीलाल पुत्र सोनाराम विश्नोई
   निवासी चन्द्रनगर, ग्राम पंचायत जम्भेश्वरनगर तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
   b. अणची पुत्री सोनाराम पत्नी बगडुराम
   निवासी नेवा की ढाणी, कानासर
   तहसील बाप, जिला जोधपुर
   c. शांति पुत्री सोनाराम पत्नी उत्तमाराम गोदारा
   निवासी नेवा की ढाणी, कानासर
   तहसील बाप, जिला जोधपुर
2. मोहनराम पुत्र बरसिंगाराम पौत्र पन्नाराम विश्नोई
3. सहीराम पुत्र बरसिंगाराम पौत्र पन्नाराम विश्नोई
   निवासीगण चन्द्रनगर, ग्राम पंचायत जम्भेश्वरनगर तहसील लोहावट, जिला जोधपुर

ब

ना

म

रेस्पोडेण्ट

1. मगनाराम पुत्र जगमालराम विश्नोई
2. भलूराम पुत्र जगमालराम विश्नोई
3. सहीराम पुत्र जगमालराम विश्नोई
4. शंकरलाल पुत्र जगमालराम विश्नोई
5. भागीरथ पुत्र जगमालराम विश्नोई
6. सुखी पत्नी जगमालराम विश्नोई
   निवासीगण चन्द्रनगर, ग्राम पंचायत जम्भेश्वरनगर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
7. जीया पुत्र जगमालराम पत्नी प्रतापराम विश्नोई, निवासी देवनगर हाणिया, तहसील बावडी, जिला जोधपुर
8. हंसा पुत्री जगमालराम पत्नी गोपीलाल राव विश्नोई
   निवासी डाबर लोहावट, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
9. बलवन्ताराम पुत्र कानाराम विश्नोई
10. चैनाराम पुत्र बरसिंगाराम पौत्र जसवन्ताराम विश्नोई
11. जीयाराम पुत्र बरसिंगाराम पौत्र जसवन्ताराम विश्नोई
12. बचनाराम पुत्र बरसिंगाराम पौत्र जसवन्ताराम विश्नोई
13. सुगनी पत्नी बरसिंगाराम पुत्र जसवन्ताराम विश्नोई
    समस्त निवासीगण चन्द्रनगर, ग्राम पंचायत जम्भेश्वरनगर, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
14. मोहनी पुत्री बरसिंगाराम पौत्री जसवन्ताराम, पत्नी हडमानराम साउ निवासी देवनगर हाणिया, तहसील बावडी, जिला जोधपुर
15. कमला पुत्री बरसिंगाराम पौत्री जसवन्ताराम, पत्नी सोहनराम राव, निवासी डाबर लोहावट
    तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
16. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार लोहावट, जिला जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, फलोदी दिनांक 26 अक्तूबर, 2015 राजस्व वाद संख्या 126/2014 मंगनाराम व अन्य बनाम तहसीलदार लोहावट इत्यादि

-----0 -----

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 03 मार्च 2020 रूबरू बहाजरी अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया मिनजानिब अपीलाण्ट्स, श्री धनराज वैष्णव, श्री सुगनमल परिहार, श्री रामविलास मुण्डेल अधिवक्तागण एवं श्री दूदाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता मिनजानिब रेस्पो. समायत पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलाण्ट्स स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने से तदनुसार खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिकी दिनांक 26 अक्तूबर 2015 यथावत रखे जाते है। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग -/-------) रूपये --/------------ अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ------/-- अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 03 मार्च 2020 को जारी किया गया।

03/03/2019

(नखतदान बारहठ)RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

3/3/2020

(नखतदान बारहठ)RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर